Rajbhasha Cell, SVC.
V 20/6/24

दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या :107, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007(दूरभाष :011-27666269, एक्स नं :.1225)
Room No.:107, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone :011-27666269, Ext. No. :1225)

फाइल संख्या: आरबीसी/334/राभाकास(01)/2024/1709–1776 दिनांक: 13/06/2024.

सेवा में,

सभी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या,
दिल्ली विश्वविद्यालय,

महोदय/महोदया,

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा दिनांक 15/02/2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में कृपया निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

1. **सभी प्रोसपेक्टस, सूचना बुलेटिन, सूचनापट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्रशीर्ष, फाइल कवर, नामपट्ट,** विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के पहचान पत्र, निमंत्रण-पत्र, पुस्तकालय कार्ड, लिफाफों पर पते इत्यादि द्विभाषी रूप में (ऊपर/पहले हिंदी तथा नीचे/बाद में अंग्रेजी या अन्य भाषा तथा फोंट आकार समान) मुद्रित किए जाएं।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात, यथा सामान्यआदेश(General Orders), ज्ञापन(Memorandums), संकल्प(Resolutions), अधिसूचनाएं(Notifications), नियम(Rules), करार(Agreements), संविदा(Contracts), निविदा सूचनाएं(TenderNotices)संसदीयप्रश्न (Parliament Questions), प्रशासनिक रिपोर्टें(Administrative reports), अन्य रिपोर्टें(Other reports), प्रेस विज्ञप्तियां(Press Communiques), अनुज्ञप्ति (Licences), अनुज्ञा-पत्रों(Permits), सूचनाओं (Notices), निविदा-प्रारूपों (Forms of tender)इत्यादि आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) होने चाहिए।
3. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर **50%** राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।
4. कार्यालयों में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड की सहायता से हिंदी में टंकण कार्य किया जाए।
5. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाए तथा सभी प्रकार के रजिस्टरों आदि के शीर्षक तथा **महाविद्यालय की वेबसाइट अनिवार्य रूप से द्विभाषी(हिंदी व अंग्रेजी)** हो।
6. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
7. **राजभाषा नियम, 1976(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011) के नियम-5 के अनुसार**हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2024-25) में निर्धारित में निर्धारित लक्ष्य (**'क'** क्षेत्र के लिए **75% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाए)** के अनुसार टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएं।
9. कार्यालयों में संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त मदों पर आपके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

विकास गुप्ता 13/6/24
(डॉ. विकास गुप्ता)
कुलसचिव